संख्या– 27/16/2010–एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18/3/ 2011
18 MAR 2011

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषयः चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 17 जून, 2010 को आयोजित 80वीं बैठक में विचार

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 17 जून, 2010 को आयोजित 80वीं बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा दिशा–निदेशों से आच्छादित न होने के कारण अस्वीकृत करने की संस्तुति की है । विस्तृत ब्यौरा संलग्नक पर है ।

समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियाँ की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा वास्तविक/चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत मान लिया गया है। संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों को उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिः–

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

संलग्नक 3 कार्मिकों की सूची

18 MAR 2011
जारी किया/ISSUED

चिकित्सकीय व्यथा के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की 80वीं बैठक दिनांक 17 जून, 2010 की बैठक में अस्वीकृत प्रत्यावेदन

माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्रमांक	कार्मिक का नाम/पदनाम/तैनाती	प्रत्यावेदन में अकित बीमारी	नियुक्ति तिथि	समिति की संस्तुति
1	2	3	5	10
1	श्री अरविन्द कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक–विज्ञान/गणित, राजकीय उच्चमर माध्यमिक विद्यालय, हीराखाल पौड़ी गढ़वाल	माता हृदय रोग से ग्रस्त होने के कारण उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरण	18.06.1999	प्रश्नगत बीमारी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
2	श्रीमती राधा भारद्वाज, प्रवक्ता–अर्थशास्त्र राजकीय बालिका इण्टर कालेज दुग्ड़डा पौड़ी गढ़वाल	पति हैपिटाइटिस बी रोग से ग्रस्त होने के कारण उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरण	23.09.1996	प्रश्नगत बीमारी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
3	श्री लालमणि उपाध्याय, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, जौरासी नैनीताल	स्वयं विकलांगता से ग्रस्त होने के कारण उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरण	27.01.1996	प्रश्नगत बीमारी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।